

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021-22

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुबोध जैन 2. वर्तमान धारित पद सहायक आयुक्त

3. वर्तमान वेतन ..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2022

उस जिले, उप संभाग, तालुका एवं ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो.	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
गुना	-	25X40	वर्ष 1993-94 में रु 13000/- में कय किया गया	स्वयं के नाम से	विक्रेता श्री चंद्रशेखर अग्रवाल एंड कं. से कय किया गया	-	-
उज्जैन	भवन	-	वर्ष जनवरी 2002 में 5.50 लाख में कय किया गया	पत्नी तथा स्वयं के नाम से	श्री प्रेमचंद पिता हस्तमल से बैंक ऋण से कय किया गया	-	-
इन्दौर	भवन	-	मार्च 2016 में रु 39.00 लाख में कय किया गया	पत्नी तथा स्वयं के नाम से	श्रीमती नंदनी शर्मा पति श्री मनीष शर्मा से बैंक ऋण तथा रिश्तेदारों से ऋण लेकर कय किया	1,80,000 /- रुपये	
उज्जैन	भवन	-	वर्ष 19-20 में 27.00 लाख में कय किया गया	पत्नी द्वारा कय	कैलाशचंद्र गर्ग से रिश्तेदारों से ऋण लेकर कय किया	-	-

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल है।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अविध के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति का ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम - सुबोध जैन

पद - सहायक आयुक्त

मो. नं.

20/11/2022